न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती प्रियंका गोस्वामी (आई.ए.एस.)

अपील संख्या : 05/2025

तारीख रजू : 10.01.2025 निर्णय दिनांक : 17.10.2025

उनवान

1. राजू पत्नि नरेन्द्र कुमार जाति मीणा निवासी गढ़ मौहल्ला शिवाजी नगर बहरोड़ जिला कोटपूतली:बहरोड़।

– अपीलान्ट

बनाम

1. दुलीचन्द पुत्र बोदनराम,
2. हुकमचन्द पुत्र बोदनराम,
3. राजेश कुमार पुत्र मांगेलाल,
4. रामसिंह पुत्र मांगेलाल

   समस्त जातियान मेघवाल निवासीयान बहरोड़ मौहल्ला जैतपुरा तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान।
5. तहसीलदार, बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान।
6. परियोजना निदेशक पीपीपी सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड जयपुर जैक्ब रोड़ जयपुर पिन कोड़ 302006.

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 971 वाके ग्राम मुण्डियाखेड़ा तहसील बहरोड़ निर्णय दिनांक 12.12.2024 द्वारा तहसीलदार बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान।

उपस्थित अधिवक्तागण :–

01. वकील श्री औमप्रकाश सैनी अपीलान्ट की ओर से।
02. वकील श्रीमती रितु यादव रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 लगायत 04 की ओर से।

।। निर्णय ।।

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 971 वाके ग्राम मुण्डियाखेड़ा तहसील बहरोड निर्णय दिनांक 12.12.2024 द्वारा तहसीलदार बहरोड़ के आदेश से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 लगायत 04 की ओर से वकील श्रीमती रितु यादव ने वकालतनामा व लिखित बहस पेश की।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट में उल्लेखित तथ्य को जाहिर करते हुए अपील को अन्दर मियाद मानी जाने हेतु निवेदन किया। वकील अपीलाण्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर हाल 946 रकबा 0.30 है० वाके ग्राम बहरोड़ तरफ गंगाबिशन की खातेदारी मिन अपीलान्ट है तथा काबिज रहकर काश्त कर रही है। खसरा नम्बर 946 वाके ग्राम बहरोड़ तरफ गंगाबिशन की सीमा ग्राम मुण्डियाखेड़ा की सीमा से लगती हुई है व अपीलान्ट की आराजी से लगते हुये ग्राम मुण्डियाखेड़ा के हाल खसरा नम्बर 619 रकबा 0.14 है0 620 रकबा 0.16 है० व 621 रकबा 0.57 है०, जिसमें से हाल खसरा नम्बर 619 व 620 के खातेदारों रेस्पोडेन्ट सं० 1 लगायत 4 व खसरा नम्बर 621 के खातेदार रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 है। रेस्पोडेन्ट सं० 6 द्वारा एसएच 111 सड़क बनाने हेतु गादोज से बहरोड़ तक भूमि अवाप्ति अधिकारी बहरोड़ के जरिये ग्राम मुण्डाखेड़ा व गंगाबिशन के नम्बरों की जमीन अवाप्त की गई थी। उक्त रोड़ 100 फिट चौड़ा अर्थात 30 मीटर बनाना था। मिन अपीलान्ट की आराजी खसर नम्बर 946 का कोई भाग अवाप्त नही हुआ था। रेस्पोडेन्ट सं० 1 लगायत 4 के खसरा नम्बर 619 में से रकबा 0.1143 है0 व 620 में से रकबा 0.0102 है० व रेस्पोडेन्ट सं० 1 लगयत 2 के खसरा नम्बर 621 में से रकबा 0.1188 अवाप्त किया गया था। रेस्पोडेन्ट सं० 6 द्वारा जो एएच 111 सड़क का निर्माण किया गया है वह अपीलान्ट की आराजी हाल खसरा नम्बर 946 वाके ग्राम बहरोड़ तरफ गंगाबिशन से लगता हुआ किया गया है। मौके पर हाल खसरा नम्बर 619, 620, 621, वाके ग्राम मुण्डिया खेड़ा की कोई भूमि अपीलान्ट की तरफ नही छोडी गई थी परन्तु अवाप्ती कि नक्शे के अनुसार रेस्पोडेन्ट सं० 1 लगायत 4 की भूमि अपीलान्ट की भूमि की तरफ दर्शाई गई है जिसका नाजायज फायदा उठाकर रेस्पोडेन्ट सं० 1 लगायत 4 भू–माफियाओं के जरिये अपीलान्ट की आराजी हाल खसरा नम्बर 946 वाके ग्राम बहरोड़ तरफ गंगाबिशन पर जबरन रूप से कब्जा करने का प्रयास कर रहे है। रेस्पोडेन्ट सं० 1 लगायत 4 द्वारा भूमाफियाओं के साथ मौके पर आकर मिन अपीलान्ट की आराजी पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया। जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना बहरोड़ में दर्ज करवाई गई थी परन्तु राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज होने से कोई कार्यवाही नही की जा रही है। इन्तकाल सं0 971 वाके ग्राम मुण्डियाखेड़ा में हाल खसरा नम्बर 619, 620, 621 की हद तक खोला गया है तथा उसी के अनुसार राजस्व नक्शा कायम किया गया है जो मौके के खिलाफ है। विवादित खसरा नम्बर 797/621 (हाल खसरा नम्बर जो सड़क के बनाये गये है) की चौड़ाई 28 मीटर अंकित किया गया है तथा जांच बिन्दु सं० 5 में खसरा नम्बर 808/623 में सड़क की

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ★ कोटपूतली–बहरोड़

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

चौड़ाई 30 मीटर अंकित की गई है जबकि उक्त दोनों खसरा नम्बर की मेड एक ही है लेकिन पटवारी हल्का द्वारा अपनी मनमर्जी से 2 मीटर का अन्तर दर्शाया गया है। उक्त 2 मीटर का अन्तर न तो सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जारी प्रमाणित नक्शे में है तथा ना ही सड़क मौके पर है। जिससे स्पष्ट है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट में विरोधाभास है जो स्वीकार नही है। जिसके कारण इन्तकाल सं0 971 वाके ग्राम मुण्डियाखेड़ा निरस्त किये जाने योग्य है। नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 797/621 व 808/623 (जो हाल खसरा नम्बर जो सड़क के बनाये गये है) दोनों खसरा नम्बरों की मेड (डोल) एक ही है जिसमें विवादित खसरा नम्बर 797/621 में रोड की चौड़ाई 2 मीटर कम की गई है जबकि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जारी सर्कलुर नम्बर एफ. 7 (120)/पीपीपी–एसएचए/2015–16.685 दिनांकित 21.07.2015 में सार्वनिक निर्माण विभाग द्वारा स्पष्ट रूप से सड़क की चौड़ाई 30 मीटर बताई गई है, दर्ज है। पटवारी व कानूनगों की जांच रिपोर्ट दिनांक 17.04.2025 की प्रमाणित प्रति में खसरा नम्बर 797/621 (सड़क के खसरा नम्बर) की उत्तर व दक्षिण की मेड 28 मीटर व पूर्व–पश्चिम की मेड 39 मीटर बताई गई है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 797/621 का क्षेत्रफल **28x39**=1092 वर्गमीटर बनता है जबकि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व इन्तकाल में 1188 वर्गमीटर भूमि अवाप्त की गई है इस प्रकार 96 वर्गमीटर अपीलान्ट की नक्शे में कम तरमीम किया गया है तथा इन्तकाल सं0 971 वाके ग्राम मुण्डियाखेड़ा दर्ज किया गया है। पटवारी व कानूनगों की जांच रिपोर्ट दिनांक 17.04.2025 की प्रमाणित प्रति बिन्दू सं० 1 में खसरा नम्बर 796/621 की उत्तर की मेड 6 मीटर, दक्षिण की मेड 2 मीटर व पूर्व की मेड 38 मीटर तथा पश्चिम की मेड 39 मीटर दर्शाया गया है जबकि उक्त खसरा नम्बर का क्षेत्रफल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में 0.0075 है0 (75) वर्गमीटर) अंकित किया गया है जबकि कडस्ट्रोल मैप के अनुसार खसरा नम्बर 796/621 का रकबा लगभग 154 वर्गमीटर बनता है अर्थात उक्त खसरा नम्बर का रकबा 79 वर्गमीटर अधिक अंकित किया गया है। जबकि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जारी सर्कलुर नम्बर एफ.7 (120)/पीपीपी–एसएचए/2015–16.685 दिनांकित 21.07.2015 में सार्वनिक निर्माण विभाग द्वारा स्पष्ट रूप से सडक की चौड़ाई 30 मीटर बताई गई है। जिसके अनुसार सड़क की चौड़ाई 28 के स्थान पर 30 मीटर होने पर खसरा नम्बर 797/621 कायम किये जाने के बाद खसरा नम्बर 796/621 में कोई रकबा 0.0075 हैक्ट0 शेष नही रहता है। राजस्व विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा बिना मौके की ही जांच किये बिना साबिक रिकार्ड देखे अपीलान्ट के हक हकूकों के बलाफ इन्तकाल सं0 971 वाके ग्राम मुण्डियाखेड़ा खोला गया है जिससे अपीलान्ट के हक हकूक जायल हो रहे है तथा नापूर्ति होने वाली क्षति हो ही है जिस सूरत में इन्तकाल सं0 971 वाके ग्राम मुण्डियाखेड़ा को निरस्त करार दिया जावे तथा न्यायहित में पुनः मौके की जॉच कर पुनः नामान्तकरण दर्ज किया जाना न्यायसंगत होगा।

अन्त में वकील अपीलान्ट ने निवेदन किया कि इन्तकाल सं0 971 वाके ग्राम मुण्डिया खेड़ा हाल खसरा नम्बर 619, 620, 621 की हद तक निरस्त किया जाकर पुनः तहसीलदार बहरोड़ को मौके के अनुसार पैमाईश कर इन्तकाल सं0 971 में अंकन करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

वकील रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस के दौरान निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर हाल 946 रकबा 0.30 है० वाके ग्राम बहरोड़ तरफ गंगाबिशन की खातेदार मिन अपीलान्ट है तथा काबिज रहकर काश्त कर रही है खसरा नम्बर 946 वाके ग्राम बहरोड़ तरफ गंगाबिसन की सीमा ग्राम मुण्डियाखेड़ा की सीमा से लगती हुई है व अपीलान्ट की आराजी से लगते हुये ग्राम मुण्डियाखेड़ा के हाल खसरा नम्बर 619 रकबा 0.14 है0 620 रकबा 0.16 है0 व 621 रकबा 0.57 है०, जिसमें से हाल खसरा नम्बर 619 व 620 के खातेदारों रेस्पोडेन्ट सं० 1 लगायत 4 व खसरा नम्बर 621 के खातेदार रेस्पोडेन्ट सं० 1 व 2 है। रेस्पोडेन्ट सं० 6 द्वारा एसएच 111 सड़क बनाने हेतु गादोज से बहरोड़ तक भूमि अवाप्ति अधिकारी बहरोड़ के जरिये ग्राम मुण्डाखेड़ा व गंगाबिसन के नम्बरों की जमीन अवाप्त की गई थी। उक्त रोड़ 100 फिट चौड़ा अर्थात 30 मीटर बनाना था। मिन अपीलान्ट की आराजी खसर नम्बर 946 का कोई भाग अवाप्त नही हुआ था। रेस्पोडेन्ट सं० 1 लगायत 4 के खसरा नम्बर 619 में से रकबा 0.1143 है0 व 620 में से रकबा 0.0102 है० व रेस्पोडेन्ट सं० 1 लगायत 2 के खसरा नम्बर 621 में से रकबा 0.1188 अवाप्त किया गया था। रेस्पोडेन्ट सं० 6 द्वारा जो एएच 111 सड़क का निर्माण किया गया है वह अपीलान्ट की आराजी हाल खसरा नम्बर 946 वाके ग्राम बहरोड़ तरफ गंगाबिसन से लगता हुआ किया गया है। मौके पर हाल खसरा नम्बर 619, 620, 621, वाके ग्राम मुण्डिया खेड़ा की कोई भूमि अपीलान्ट की तरफ नहीं छोडी गई थी परन्तु अवाप्ती कि नक्शे के अनुसार रेस्पोडेन्ट सं० 1 लगायत 4 की भूमि अपीलान्ट की भूमि की तरफ दर्शा दी गई है जिसका नाजायज फायदा उठाकर रेस्पोडेन्ट सं० 1 लगायत 4 भू–माफियाओं के जरिये अपीलान्ट की आराजी हाल खसरा नम्बर 946 वाके ग्राम बहरोड तरफ गंगाबसन पर जबरन रूप से कब्जा करने का प्रयास कर रहे है। रेस्पोडेन्ट सं० 1 लगायत 4 द्वारा दिनांक 29.12.2024 को दिन में 11 बजे भूमाफियाओं के साथ मौके पर आकर मिन अपीलान्ट की आराजी पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया। जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना बहरोड़ में दिनांक 29.12.2024 को दर्ज करवाई गई थी परन्तु राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज होने से कोई कार्यवाही नही की जा रही है। इन्तकाल सं0 971 वाके ग्राम मुण्डियाखेड़ा में हाल खसरा नम्बर 619, 620, 621 की हद तक खोला गया है तथा उसी के अनुसार राजस्व नक्शा कायम किया गया है जो मौके के खिलाफ है। इस कारण से इन्तकाल सं० 971 वाके ग्राम मुण्डिया खेड़ा हाल खसरा नम्बर 619, 620, 621 की हद तक निरस्त किया जाना व मौके के अनुसार इन्तकाल सही दर्ज कर राजस्व नक्शा कायम किया जाना न्यायसंगत है। अपीलान्ट ने बिना किसी हक व अधिकार के रेस्पोडेन्ट सं० 1 लगायत 4 को तंग व परेशान करने व रेस्पोडेन्ट सं० 1 लगायत 4 की खातेदारी आराजी पर जबरन कब्जा करने की गरज से यह अपील प्रस्तुत की है। रेस्पोडेन्ट सं० 6 द्वारा एसएच 111 सड़क बनाने हेतु गादोज से बहरोड़ तक भूमि अवाप्ति अधिकारी बहरोड़ के जरिये ग्राम मुण्डाखेड़ा

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली–बहरोड़

सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

व गंगाबिसन के नम्बरों की जमीन अवाप्त की गई जिसमें रेस्पोडेन्ट सं० 1 लगायत 4 की खातेदारी, आराजी खसरा नम्बर 619, 620, 621 वाके ग्राम मुण्डिया खेड़ा की भूमि अवाप्त की गई है अपीलान्ट की आराजी खसरा नम्बर 946 वाके ग्राम बहरोड तरफ गंगाबिसन में स्थित है। अपीलान्ट की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 946 का कोई भी भाग अवाप्त नहीं किया गया। रेस्पोडेन्ट सं० 6 द्वारा सड़क निर्माण हेतु रेस्पोडेन्ट सं० 1 लगायत 4 के खसरा नम्बर में से भूमि अवाप्त की गई जिसके कारण मिन रेस्पोडेन्ट सं० 1 लगायत 4 के खसरा नम्बरान की भूमि सड़क के दोनों तरफ शेष रह गई अर्थात सडक मिन रेस्पोडेन्ट सं० 1 लगायत 4 के खसरा नम्बरान की बीचों–बीच निर्माण की गई। रेस्पोडेन्ट सं० 5 व 6 एवं उनके अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा मौका पर पैमाईश कर विधिवतः रूप से कब्जा एवं रिकार्ड की जांच कर इंतकाल सं० 971 दर्ज किया गया है। सडक निर्माण में जो रेस्पोडेन्ट सं० 1 लगायत 4 का जो रकबा अवाप्त किया गया है अवाप्त रकबा के बावजूद सड़क के साथ जो रकबा बचा है जिसका विधिवत रूप से मौके की पैमाईश कर कब्जा की जांच कर बटा नम्बर कायम किया गया है तथा जिसके आधार पर इन्तकाल सं0 971 दर्ज किया गया है जिससे अपीलान्ट का कोई लेना देना नही है। अतः अपील अपीलान्ट मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा–5 पर विचार किया गया। न्यायहित में नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थना पत्र दफा–5 में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद ग्रहण की जाती है।

वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गौर से अवलोकन व अध्ययन किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट ने यह अपील नामान्तकरण संख्या 971 वाके ग्राम मुण्डियाखेड़ा तहसील बहरोड निर्णय दिनांक 12.12.2024 द्वारा तहसीलदार बहरोड़ के आदेश विरूद्ध प्रस्तुत की है। सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड जयपुर द्वारा एसएच 111 सड़क बनाने हेतु गादोज से बहरोड़ तक भूमि अवाप्ति अधिकारी बहरोड़ के जरिये ग्राम मुण्डियाखेड़ा व गंगाबिशन बहरोड़ के नम्बरों की जमीन अवाप्त की गई थी जो रेस्पोडेन्ट सं० 1 लगायत 4 के खसरा नम्बर 619 में से रकबा 0.1143 है0 व खसरा नम्बर 620 में से रकबा 0.0102 है० व रेस्पोडेन्ट सं० 1 लगायत 2 के खसरा नम्बर 621 में से रकबा 0.1188 अवाप्त किया गया था। अपीलान्ट की आराजी खसर नम्बर 946 का कोई भाग अवाप्त नहीं हुआ था। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जारी सर्कुलर नम्बर एफ.7 (120)/पीपीपी–एसएचए/2015–16.685 दिनांकित 21.07.2015 में सार्वनिक निर्माण विभाग द्वारा स्पष्ट रूप से सडक की चौड़ाई 30 मीटर बताई गई है, लेकिन पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार विवादित आराजी के मौके पर सड़क की चौड़ाई 28 मीटर है। कार्यालय तहसीलदार (भू0अ0) बहरोड़ के पत्रांक भू0अ0/2025/1891 दिनांक 30.07.2025 के अनुसार स्टेट हाईवे 111 रोड बनाते समय किसी भी राजस्व टीम द्वारा पैमाईश कार्य नहीं किया गया, जबकि परियोजना निदेशक राजस्थान राज्य मार्ग प्राधिकरण की रिपोर्ट अनुसार उक्त अवाप्त भूमि पर राजस्व विभाग के माध्यम से अधिग्रहित भूमि अवाप्त नक्शे अनुसार चिन्हित भूमि पर सड़क निर्माण कार्य किया जाना बताया गया है, जिसके कारण पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात में विरोधाभाष प्रतीत होता है। चुंकि विवादित आराजी ग्राम मुण्डियाखेड़ा व गंगाबिसन बहरोड की सीमा पर लगती हुई है, जिसका नक्शा तरमीम बिना मौके की जॉच किया जाना न्यायोचित्त नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.2024 में त्रुटि हुई है, जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। वकील अपीलान्ट की बहस प्रकरण पर चस्पा होती है तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर पुनः प्रतिप्रेषित किए जाने योग्य साबित होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर इन्तकाल सं0 971 वाके ग्राम मुण्डियाखेड़ा तहसील बहरोड निर्णय दिनांक 12.12.2024 को पारित आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार बहरोड़ को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में मौक की जॉच कर नियमानुसार विधिसम्मत् पुनः नामांतकरण दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली–बहरोड़